

लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड सरकार

वृत्त

— 8 वाँ वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी

खण्ड का नाम — निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर

—वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव—

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र।

कार्य का नाम—

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बैरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

मार्ग की लम्बाई— 4.50 किमी०

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल — | 0.735 हे० (लम्बाई 1050.00 मीटर) |
| 2. सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल— | 1.435 हे० (लम्बाई 2050.00 मी०) |
| 3. नाप भूमि का क्षेत्रफल — | 0.980 हे० (लम्बाई 1400.00 मीटर) |

क्र.सं०	प्रपत्र	प्रारूप संख्या (एसओपीओ के अनुसार)	पृष्ठ संख्या	
			से	तक
--	मुख पृष्ठ	—		
--	विषय सूची	—		
1.1	ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1		
1.2	सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोग्राफी मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	8		
1.3	मैप जिसमें टोपोग्राफी पर प्रस्तावित क्षेत्र को जीओपीओएस के साथ दिखाया गया हो।	9		
1.4	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरूपण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो (kml file)	10		
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	प्रतिवेदन		
1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	30		
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44		
1.8	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45		
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	47		
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	48		
1.11	विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	29		
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता	11		
2.2	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5		
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	6		
2.44	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2		
2.45	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3		
2.46	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4		
2.47	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट	7		
2.4	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	12,13		
2.5	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14		
2.6	प्रभावित वन भूमि का लैंड शेड्यूल	15		
2.7	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे० में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि, आदि।	16		
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट।	17		
2.9	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	42		
2.10	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण वन स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	43		
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	—		
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46		
2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	—		

2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हे० से कम में लागू।)	लागू नहीं		
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षेत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी)।	19		
-	परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन	20		
-	परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21		
2.16	बाज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र।	22		
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	23		
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24		
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना।	49		
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	25		
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	26		
2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	27		
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	54		
2.24	आम-समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28		
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्राकल्पन तथा संक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	लागू नहीं	—	—
2.26	अवयव के अनुसार Component wise निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	—		
2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18		
2.28	भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33		
2.29	टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	35		
2.30	मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	36		
2.31	टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34		
2.32	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	37		
2.33	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38		
2.34	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	39		
2.35	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	40		
2.36	एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण-पत्र।	50		
2.37	मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एर्जेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की बड़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	51		
2.38	वन भूमि के लीज रेट का प्रमाण-पत्र।	41		
2.39	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	53		
2.40	आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्राकल्पन	52		
2.41	आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र	—		
2.42	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र। (अगर लागू हो)।	—		
2.43	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट/अन्य विवरण	—		

ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।

Mr. M.S. Negi Assistant Engineer son of Late Shri C.S. Negi is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Gaja Section of the Construction Division PWD Narendra Nagar (agency name) on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar.


Executive Engineer
Construction Division, P.W.D.
Narendra Nagar

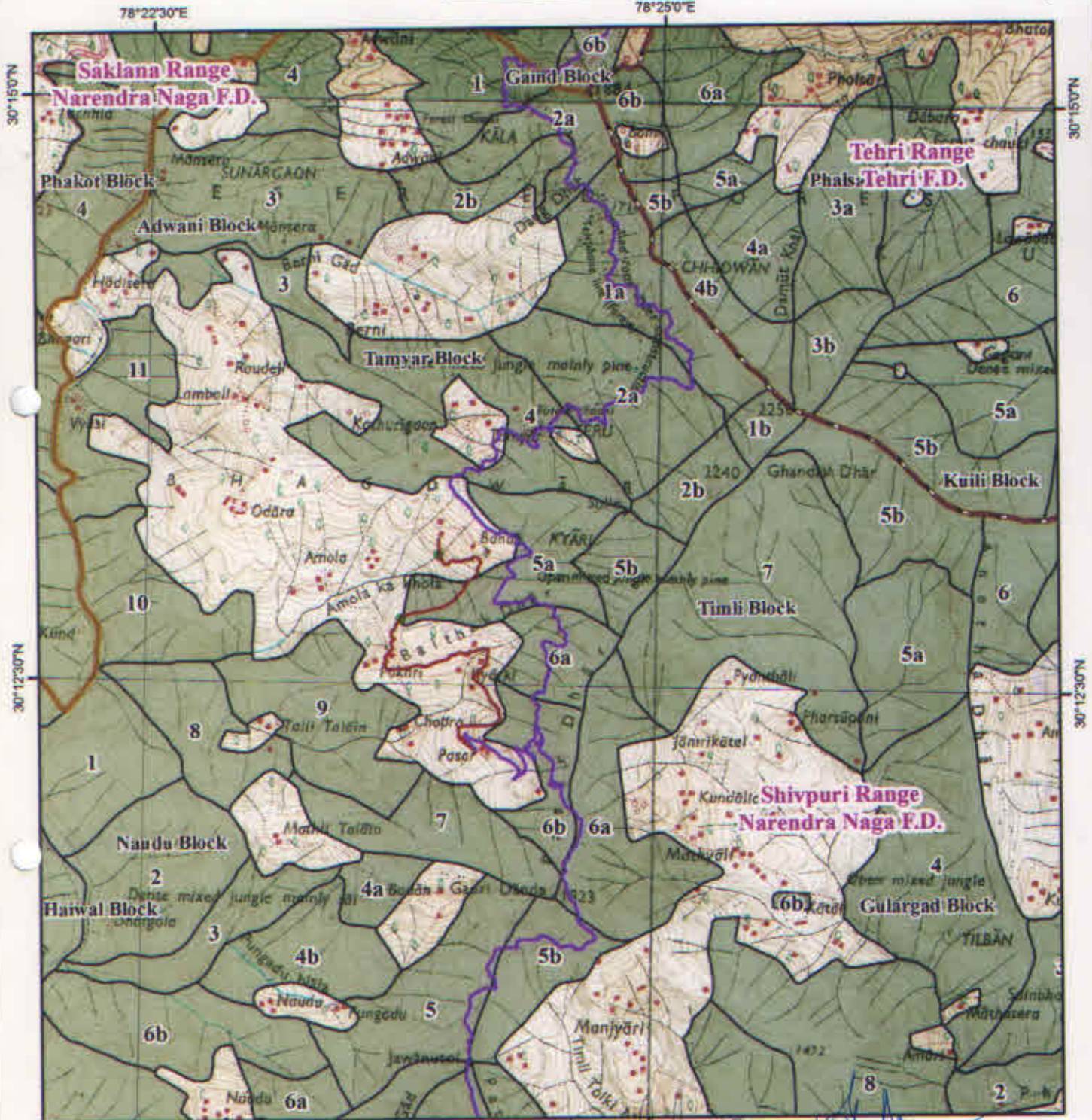
1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर परियोजना

(इस मानचित्र में प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

डिजिटल मानचित्र – जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में अदवाणी बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार

6

0 0.5 1Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राजि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप प्रभागिय वनधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभागिय वनधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

30/11/15

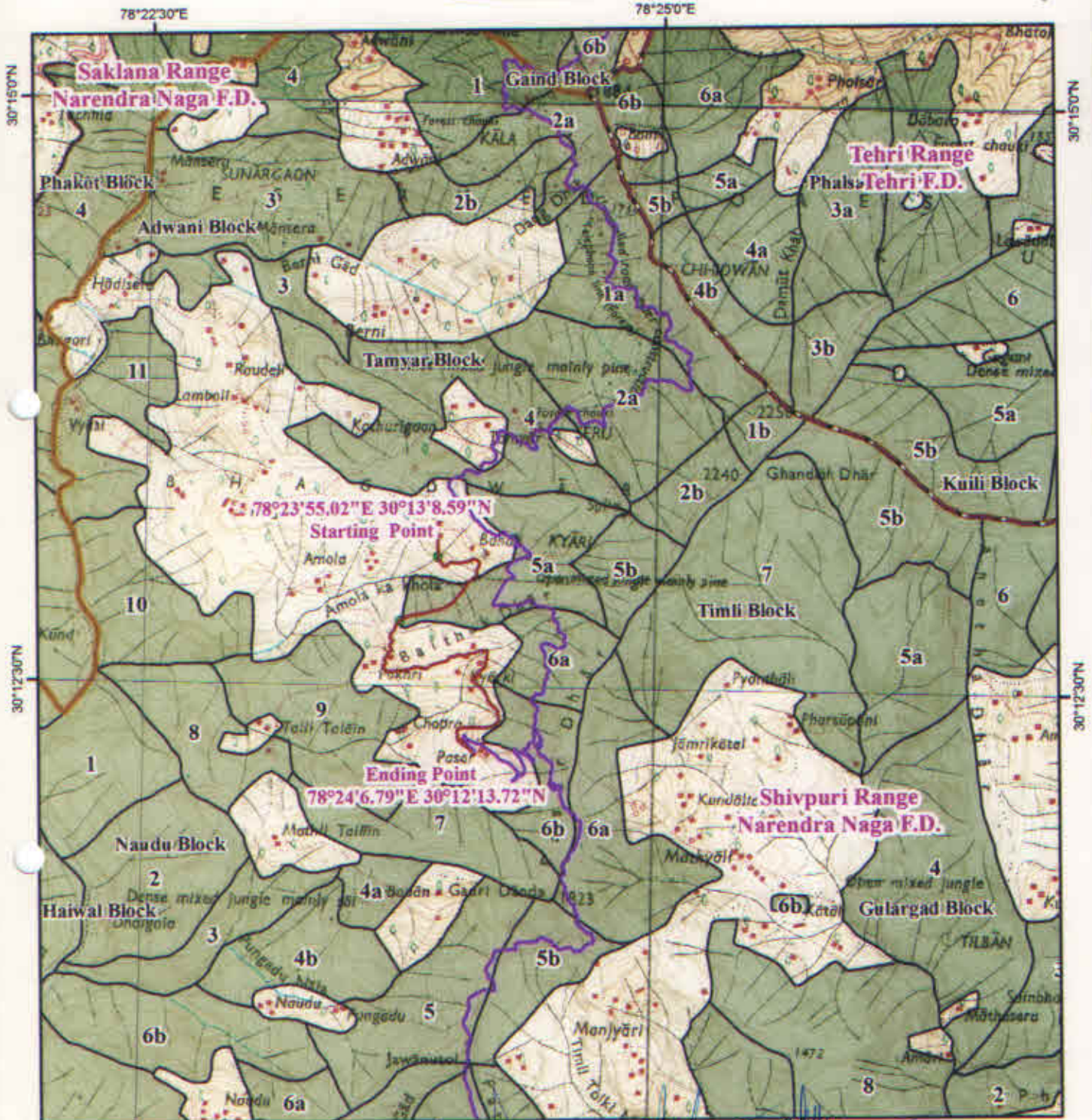
नरेन्द्रनगर

1:50,000 पैमाने के डिजिटल मानचित्र पर परियोजना, जी0पी0एस0 रीडिंग सहित

(इस डिजिटल मानचित्र में मानचित्र कर्ता सहित प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित प्रभागीय यन्त्राधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा इस्तख़ार किये जाने हैं।)

डिजिटल मानचित्र – जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में अदवाणी बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार

0 0.5 1Km



Legend

- Muck Disposal सहायक अभियन्ता
- Proposed Road निर्माण खण्ड, लो. जे. वि.
- Existing Road नरेन्द्रनगर
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

वन क्षेत्राधिकारी उप प्रशासक वनाधिकारी
शिवपुरी वन राजि देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती मुनिकीरेती

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रशासक वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

NARENDRA NAGAR

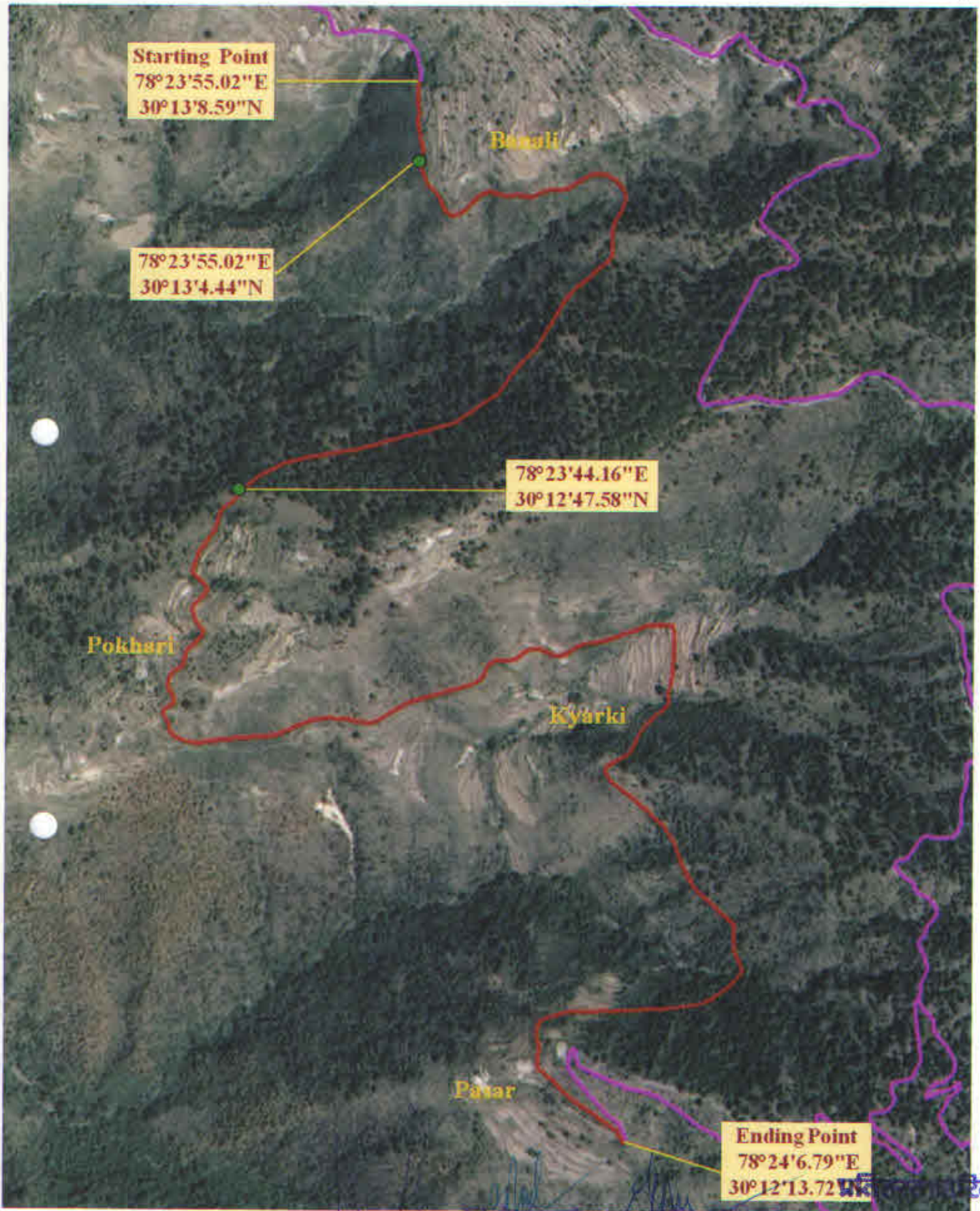
30/11/15

गूगल मानचित्र (.kml file में) पर प्रस्तावित परियोजना

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

डिजिटल मानचित्र – जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में अदवाणी बेरनी
मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार

10



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road

वन सहायक अधिकारी
शिवपुरी वन राजि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप प्रभागिक वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

SDM
NARENDRA NAGAR

खपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

जनपद टिहरी गढ़वाल
नरेन्द्रनगर विकासखण्ड

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार कार्य हेतु शासनादेश संख्या 1440/111-(2)/11-05 (प्र0आ0)/2010 दिनांक 28 मार्च 2011 द्वारा 7.00 कि०मी० लम्बाई के लिए प्रथम चरण हेतु रु० 88.20 लाख मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

यह मार्ग बेरनी-रौन्देली मोटर मार्ग के टोलीखाल नामे तोक से लमोली ओडाडा मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु अर्थात् किमी० 5 से प्रारम्भ होता है तथा बनानी, पोखरी, क्यारका, पसर को जोड़ते हुये 4.50 किमी० लम्बाई में प्रस्तावित गंगा तमियार तिमली ह०वा० मार्ग से पसर डांडा मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु पर मिल जाता है। मार्ग का संरक्षण अधीक्षण अभियन्ता 8वें वृत्त लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के पत्रांक 3391/271सी-8/2011 दिनांक 03.06.2011 के द्वारा स्वीकृत है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1050 मीटर लम्बाई में आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.735 हे०, 2050 मीटर लम्बाई में सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 1.435 हे० है तथा 1400 मीटर लम्बाई में नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.980 हे० है, की आवश्यकता है। मार्ग की लम्बाई एवं भूमि का प्रकार बार-चार्ट में अंकित कर संलग्न किया गया है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ-साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम पोखरी एवं ओडाडा को यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 7.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गिनती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल 138 वृक्ष आ रहे हैं, जिनमें बाँज प्रजाति के 70 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।) प्रस्ताव में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है। मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	ग्राम	कोड	आवादी
1	पोखरी	00435000	67
2	ओडाडा	00434900	459
योग :-			526

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल | - | 0.735 हे० (लम्बाई 1050.00 मीटर) |
| 2. सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल- | | 1.435 हे० (लम्बाई 2050.00 मीटर) |
| 3. नाम भूमि का क्षेत्रफल | - | 0.980 हे० (लम्बाई 1400.00 मीटर) |

(Signature)
अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

(Signature)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

(Signature)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No---

Dated-----

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.17** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Extension of Aadwani-Berani Motor Road Through Pokhri** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Pokhari, Odada** village (s) in **Gaja** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.17** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(युगल किशोर पन्त)

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

No---

Dated-----

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.17 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Extension of Aadwani-Berani Motor Road Through Pokhri** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Pokhari, Odada** village (s) in **Gaja** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.17 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(युगल किशोर पन्त)

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल

It is further certified that - Minutes of meeting of Extension Of Aadwani-Berani Motor Road Through Pokhari, Length 4.50Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.17 ha of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure...	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य

टिहरी गढ़वाल

अनिल मण्डारी

सदस्य

जिला पंचायत वार्ड-42 (जयकोट)
बि०ख० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

प्रभाषीय वनाधिकारी

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

मनि-की-रेतो

(युगल किशोर पन्त)

टिहरी गढ़वाल

टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक- 444/11030 (28.8.15)-15

दिनांक- 30.11.2015

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार कार्य (0.735 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.435 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.17 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 30/11/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1- | श्री मनीष कुमार सिंह उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर | -अध्यक्ष |
| 2- | श्री प्रदीप कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती | -सदस्य |
| 3- | श्री शेर सिंह तोमर सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर | -सदस्य/सचिव |
| 4- | श्रीमती अनुजा रावत बी०डी०सी० क्षेत्र ओडाडा | -सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार परियोजना हेतु 2.17 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु 2.17 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

44
30/11/15
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-गंजा जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-गंजा जनपद टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक 30/11/15 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार कार्य हेतु 2.17 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री मनीष कुमार	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	
2	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	
3	श्री शेर सिंह तोमर	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	
4	श्रीमती अनुजा रावत	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य ओडाडा	

श्रीमती अनुजा रावत
सदस्य क्षेत्र पंचायत ओडाडा
ब्लॉक नरेन्द्रनगर
जिला टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- आढ़वानी-बेरनी मोटर मार्ग का जोखरी छोटे हुए विस्तार ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - पसर..... तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उक्त..... मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.735 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि 1.435 हे०, वन पंचायत भूमि शून्य हे० एवं नामभूमि 0.280 हे०) अर्थात् कुल 3.15 हे० वन भूमि का प्रस्ताव विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पसर..... द्वारा दिनांक 16.11.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा पसर..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान



दिनांक 16.1.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- पसर

31/1/15-30.4

18

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	भक्तार शर्मा	
2	दिवान सिंह	दिवान सिंह
3	जगत सिंह रावत	जगत सिंह
4	रामबहादुर सिंह	रामबहादुर सिंह
5	इन्द्रा सिंह रावत	इन्द्रा सिंह
6	मोहित सिंह रावत	मोहित सिंह
7	दीपक सिंह रावत	दीपक सिंह
8	दयाल सिंह रावत	दयाल सिंह
9	गोपाल सिंह रावत	गोपाल सिंह
10	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
11	अमा देवी	अमा देवी
12	चतुर सिंह रावत	चतुर सिंह
13	मोहित सिंह रावत	मोहित सिंह
14	चन्द्रा देवी	चन्द्रा देवी
15	सुभा देवी रावत	सुभा देवी
16	रविवर सिंह रावत	रविवर सिंह
17	लाल सिंह रावत	लाल सिंह
18	पुष्पा सिंह रावत	पुष्पा सिंह
19	दामोदर सिंह रावत	दामोदर सिंह
20	बालदेव सिंह रावत	बालदेव सिंह
21	लाल सिंह रावत	लाल सिंह
22	प्यारा देवी	प्यारा देवी
23	पुष्प सिंह रावत	पुष्प सिंह
24	सोहन सिंह रावत	सोहन सिंह
25	वैताल सिंह रावत	वैताल सिंह
26	शैलेश रावत	शैलेश सिंह रावत
27	बिनोद सिंह रावत	बिनोद सिंह
28	देवी देवी सिंह रावत	देवी देवी सिंह
29	जीत सिंह पुंडेर	जीत सिंह
30	रंजिता सिंह रावत	रंजिता सिंह रावत

कमश:

ग्राम प्रधान

मुन्नी देवी

उप प्रधान ग्राम पंचायत पसर
ब्लॉक चरेन्द्रनगर डि० १००

दिनांक 16.1.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- पसर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
31	वसन्ती देवी पोखरी	अनंता देवी
32		
33	दीपा देवी पोखरी	दीपा देवी
34	वसन्ती देवी पोखरी	अनंता देवी
35	जगन्नाथ देवी	जगन्नाथ देवी
36	प्रीताम्बरी देवी	प्रीताम्बरी
37	मदन सिंह मौजे	मदन सिंह
38	गोपाल सिंह	Gopal Singh Raut
39	सोनू पोखरी	Sonoo
40		
41	राम प्रसाद झांखेल	राम प्रसाद
42	रविन्दर सिंह	रविन्दर सिंह
43	हुलाभा सिंह	Hulabha
44		
45	केतल सिंह पुडौर	केतल सिंह
46	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
47	स्वारा देवी	स्वारा देवी
48	विचन सिंह	अनंता देवी
49	पुष्पा देवी	विचन सिंह
50		पुष्पा देवी
51	अनील सिंह रावत	अनील सिंह
52	मन्नाम सिंह	मन्नाम सिंह
53	चन्द्रमा देवी	मन्नाम सिंह
54	श्यामा देवी	अनंता देवी
55	सुनील रावत	अनंता देवी
56	विक्रम सिंह	सुनील रावत
57	दत्ताल सिंह पुडौर	विक्रम सिंह
58	गुमान सिंह	विक्रम सिंह
59		दत्ताल सिंह
60		गुमान सिंह

ग्राम प्रधान

सुनील देवी

मुन्नी देवी

उप प्रधान ग्राम पंचायत पास
लाफे नरेंद्रनाथ

1:50000 पैमाने का टोपोशीट पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण,
जी०पी०एस० रीडिंग सहित

प्रभागीय योजनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

डिजिटल मानचित्र - जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में अदवाणी बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Area
- Forest Division Boundary

वन सहायक उप निरीक्षक
शिवपुरी वन रेंजि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

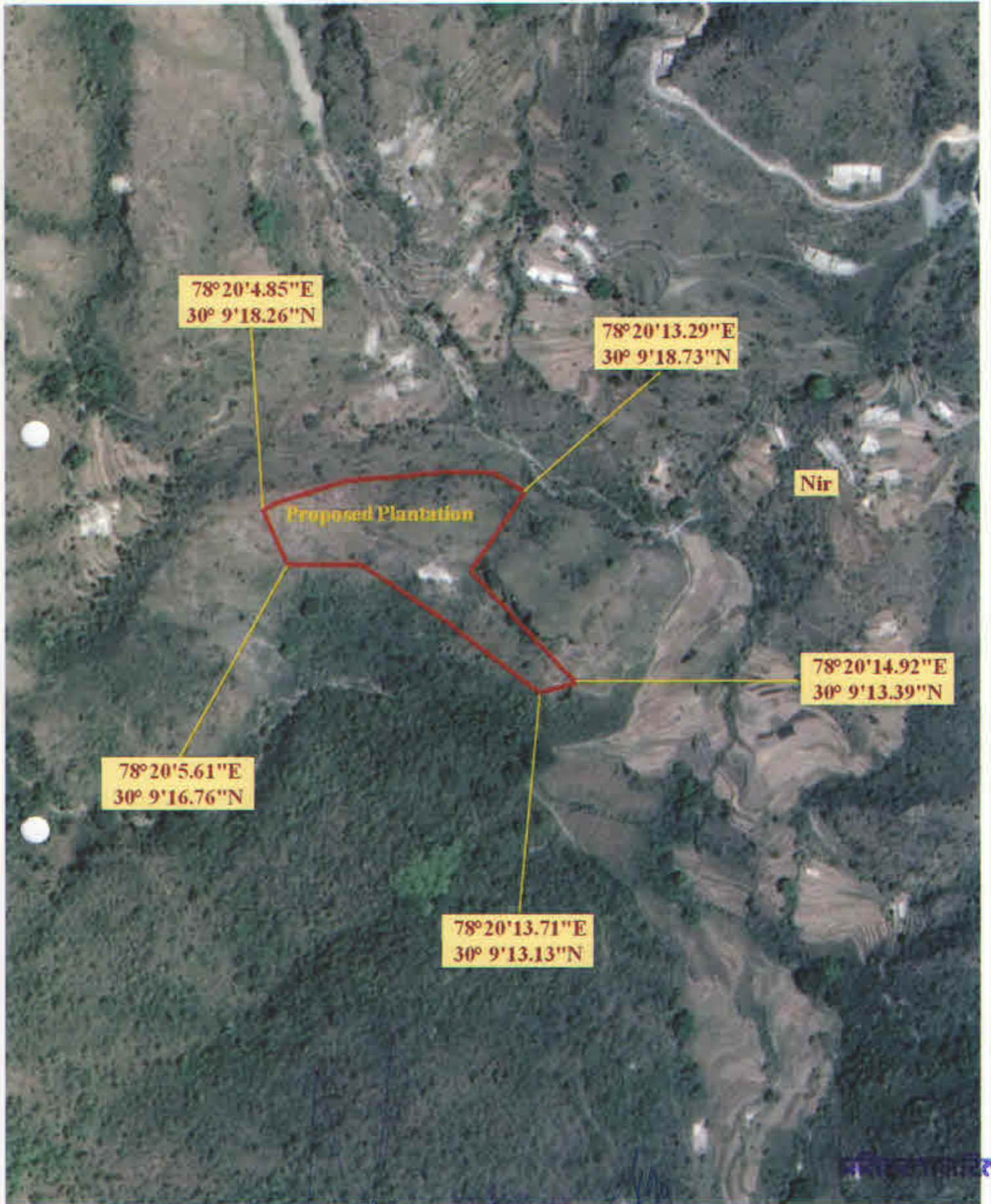
प्रतिहस्ताक्षरित
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

ब्रह्मगोय वनाधिकारी
कोइलवा वन प्रभाग
मुनि की रेती

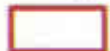
SDM
NARENDRANAGAR

गूगल मानचित्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण, जी०पी०एस० रीडिंग सहित

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित



Legend



Proposed Plantation

जनपद टिहरी गढ़वाल
विकासखण्ड नरेन्द्रनगर
मुनिकीरेती

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप-वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

खपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
SDM
NARA NAGAR

13/11/15

खसरा ग्राम ...भीर...

पट्टी ...हामातस्य... तहसील ...नरेंद्रनगर...

टिहरी गढ़वाल

संख्या	नाम भूमिधर	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	टिप्पणी
16-	वर्ग 9 (3.5) बेज उत्तराखण्ड सरकार	2800	12.721	9.86 w 7.016	
		1 No-		7.016 हे. 9.860	

तपावन
तहसील नरेंद्रनगर
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार

प्रारूप-47

(प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो संलग्न किया जाना है।)

भू-अर्जन प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार मोटर मार्ग लम्बाई 4.50 किमी० पूर्ण करता है, जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या 1440/III-(2)/2010 टी०सी०-VI दिनांक 31 दिसम्बर 2010 द्वारा 2.00 किमी० लम्बाई हेतु प्राप्त हुई है। इस मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा किया जाना है। मोटर मार्ग के निर्माण में 2.17 हे० भूमि हेतु नियमानुसार वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित किया गया है। वन भूमि की आवश्यकता न्यूनतम रखने हेतु कुल 3.150 हे० में 0.980 हे० नाप भूमि ग्राम सभा पसर के अन्तर्गत बनाली, पोखरी व पसर गाँव के प्रभावित कास्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित कास्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को स-समय उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बाधित नहीं होगा।


जयपुर
N-730/15
टिहरी गढ़वाल


NARENDRA NAGAR


(युवक विकास पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध की प्रति

ह0 भूमिधर/ह0 राजस्व विभाग

(5.00 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू)

Cost Benefit Ratio calculation Performa

Name of the project – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

Block:-**District:-**

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction cost of the project		
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha		
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-		
(E)	Other cost if any		
	Grand Total		
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	i. Direct Economic Benefits a. b. c.		
	Total direct benefits		
2.2	ii. Social Benefits a. b. c.		
	Total social benefits		
2.3	iii. Ecological Benefits a. b. c. Total ecological benefits		
2.4	Other Benefits(if any) a. b.		
	Total benefits		
	Grand Total Benefits		

5.00 हैक्टेयर से कम का प्रकरण होने के कारण लागू नहीं।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।


रजि. अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग।


अधिसास अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of the project – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बैरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

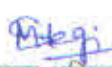
Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities	
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	
3	Cost of human resettlement	
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	
5	Environmental losses:(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	
6	Suffering to oustees	

5.00 हैक्टेयर से कम का प्रकरण होने के कारण लागू नहीं।


अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेंद्रनगर।


रजि० अधिकारी
शिवपुरी रैंज,
मुनिकीरेती।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेंद्रनगर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेंद्रनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Name of the project — जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

Nature of Proposal :

Sl.no.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	
2	Benefits to economy	
3	No. of population benefited.	
4	Employment potential.	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	

5.00 हैक्टेयर से कम का प्रकरण होने के कारण लागू नहीं।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


अधिशालक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

प्रारूप-11

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

वनभूमि की मांग का औचित्य एवं विवरण

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत आदवाणी बेरनी मोटर मार्ग से लमोली ओडाडा मार्ग के अन्तिम बिन्दु से आगे मोटर मार्ग निर्मित न होने के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग के विस्तार हेतु 1440/111-(2)/11-05 (प्रोआ0)/2010 दिनांक 28 मार्च 2011 द्वारा 7.00 कि०मी० लम्बाई के लिए प्रथम चरण हेतु रु० 88.20 लाख मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

प्रस्तावित मार्ग बेरनी- सैन्देली मोटर मार्ग के टोलीखाल नामे तोक से लमोली ओडाडा मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु अर्थात् किमी० 5 से प्रारम्भ होता है तथा बनानी, पोखरी, क्यारका, पसर को जोड़ते हुये 4.50 किमी० लम्बाई में प्रस्तावित गजा तमियार तिमली ह०वा० मार्ग से पसर डांडा मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु पर मिल जाता है। मार्ग का संरक्षण अधीक्षण अभियन्ता 8वें वृत्त लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के पत्रांक 3391/271सी-8/2011 दिनांक 03.06.2011 के द्वारा स्वीकृत है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1050.00 मीटर लम्बाई में आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.735 हे०, 2050.00 मीटर लम्बाई में सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 1.435 हे० है तथा 1400.00 मीटर लम्बाई में नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.980 हे० है, की आवश्यकता है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ-साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम पोखरी एवं ओडाडा को यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	ग्राम	कोड	आवादी
1	पोखरी	00435000	67
2	ओडाडा	00434900	459
योग :-			526

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत...

संख्या- 1440 / 111(2) / 11-05 (प्र. 7 आ. 0) / 2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 28 मार्च 2011

विशय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 77 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यू.पी.एल. शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों के हिये 010ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 4950.43 लाख (₹ उन्चास करोड पचास लाख तिरासीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 77 कार्यों हेतु ₹ 7.70 लाख (₹ सात लाख सत्तर हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(ii)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैदल सेतु का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(v)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय वास्तविकता को ध्यान में रखा जायेगा।

(vi)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वायरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के अन्तर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

M

गुफा

क0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 +मी0 में)	अनुमोदित लागत (₹ लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
01	02	03	04	05
01	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में पुरोडी हथौ टगरी मार्ग के किमी0 15.00 से बहमू संपर्क मार्ग।	6.00	75.60	
02	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में पृथ्वीपुर जंगल मो0मा0 का नवनिर्माण।	6.00	75.60	
03	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में ग्राम लडवाखोट हल्दवाडी हेतु मो0मा0 का नवनिर्माण।	10.00	126.00	
04	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में भल्लियाना लम्बागांव उत्तरकाशी मो0मा0 से जसपुर सिल्याण निराकोट मो0मा0 निर्माण।	8.00	100.80	
05	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड डुण्डा में डोंग से ओल्या मो0मा0 का निर्माण।	2.00	25.20	
06	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला में मठ लमकोटी मोटर मार्ग के किमी0 2 से 5 तक विस्तार	4.00	50.40	
07	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में मदरारू रनालगांव मोटर मार्ग के किमी0 2 से नितुशा (मैतरुशा) ग्राम हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	
08	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल में नैल-दमेली-बलोद-मोडोली मो0मा0 का निर्माण।	12.00	151.20	
09	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड एकेश्वर में सुन्ना हलाईमल्ली- हलाई तल्ली मो0मा0 का निर्माण।	3.00	37.80	
10	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड पोखडा में बढेथ-बांगर मो0मा0 का नवनिर्माण सेतु सहित।	3.00+20 मी0	37.80	
11	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड रिखणीखाल में मैलगांव मछेलीगांव हेतु मो0मा0 का निर्माण।	3.00	37.80	
12	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड दुगड़डा में गंजाडी- लडाखी-कफली पाली मो0मा0 का निर्माण।	3.00	37.80	

1

216.41

13	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड धीरोखाल में कोटिला बाड़ा डांडा मो0मा0 का विस्तार।	12.00	151.20	
14	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड धलीसैण में उफरैखाल बसोला मो0मा0 का विस्तार।	10.00	126.00	
15	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड नैनीडाण्डा में दियोड रीदडी ताल चिनाउ मो0मा0 के किमी0 6 से गोदियाल गांव बसेरी संपर्क मार्ग का निर्माण।	6.00	75.60	
16	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कोट में ग्राम नयन-नखौन-पाली एवं नकोट बाड़ा को जोड़ने हेतु मो0मा0 का निर्माण।	10.00	126.00	
17	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड जयहरीखाल में बूचाखाल से नैगियाणा, सुराईखेत तक मो0मा0 का निर्माण।	8.00	100.80	
18	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड यमकेशवर में धोरपली- मुगलिया होते हुए क्युरलगांव गांव मोटर मार्ग का निर्माण+1 सेतु सहित।	3.00 +40 मी0	37.80	
19	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल में सतपुली-बरसूडी मो0मा0 से पोखरी, चमोली गांव तक मो0मा0 का निर्माण।	5.00	63.00	0.10
20	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड खिसू में सुरालगांव जोगड़ी मो0मा0 का राह (उर्फ रमेशपुर) तक विस्तार का कार्य।	5.00	63.00	0.10
21	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी में देहलचौरी-पौड़ी मो0मा0 के किमी0 14 से भण्डारीगांव गढ़सेरा मो0मा0 का निर्माण।	6.00	75.60	0.10
22	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमालडा कदूखाल मो0मा0 के किमी0 28.00 से ग्राम धनचुला तक मो0मा0 का निर्माण।	3.00	37.80	0.10
23	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड जाखणीधार में जाखणीधार गराकोटर मो0मा0 किमी0 7.00 से कोट तक मो0मा0 का नवनिर्माण।	2.00	25.20	0.10
24	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मो0मा0 के किमी0 2.00 से ददौली मन्डोली मो0मा0 का नवनिर्माण।	6.00	75.60	0.10
25	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड धौलधार में ग्वालगांव से खर्क भेण्डी तक मो0मा0 का नवनिर्माण।	2.00	25.20	0.10
26	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड चन्दा में जामतू ग्वाल वस्तो दुडंगो मो0मा0 का नवनिर्माण।	7.00	88.20	0.10
27	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड चन्दा में जामतू ग्वाल वस्तो दुडंगो मो0मा0 का नवनिर्माण।	7.00	88.20	0.10

ML 6.

गुप्ता

28	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में बड़ोन से द्यूली बिनाणी मो0मा0 का नव निर्माण।	7.00	88.20	0.10
29	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड में नारायणबगड-भगौली मो0मा0 के किमी09 से सिलोड़ी-मनूडा-देवली लगा छैकुडा मो0मा0 का निर्माण।	4.00	50.40	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मो0मा0 के किमी0 2 से घोपडाकाट तक मो0मा0 का निर्माण।	4.00+ 1 सेतु	50.40	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आगर जिनगोड मो0मा0 का वासीसेम लगा अदसवाडा तक मो0मा0 का विस्तार।	7.00	88.20	0.10
32	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग में गौघर-दुवा मो0मा0 से ग्राम अंगोथ तक मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	2.00	25.20	0.10
33	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में वि0ख0 पोखरी में रौता- मालकोटी-सेरा मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	5.00	63.00	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड देयाल में मानमति-चोटिंग-हरमल-झलिया मो0मा0 का निर्माण।	20.00	252.00	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड धराली में जुनीधार-गोटिन्डा-दुन्डी मो0 मार्ग का निर्माण	10.00	126.00	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम भंग्यूल एवं गहर को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग एवं किमी0 1.00 में अलकनन्दा नदी पर 90.00 मी0 स्पात मोटर सेतु का निर्माण	1 सेतु + 4.00 किमी0 मोटर मार्ग	50.40	0.10
37	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कोडिया-सियासैण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार	4.50 किमी0 मोटर मार्ग + 1 सेतु	56.70	0.10
38	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में अन्धोली-जाखाल मो0मा0 से विरानगांव तक मो0मा0 का नव निर्माण।	3.00	37.80	0.10
39	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रुद्रप्रयाग-पोखरी मो0मा0 के किमी0 10 दगव्या बैण्ड से बौठा लगा खतेणा तक मो0मा0 का नवनिर्माण।	1.00	37.80	0.10
40	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड ऊखीमठ में चुन्नी बैण्ड से सरुणा तक मो0मा0 का नव निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	3.00	37.80	0.10
41	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड उन्नीस में पुरकाजी-लक्सर मार्ग से धर्मपुर याहियापुर तक मो0मा0 का निर्माण।	3.00	0.93	0.10

HML

प्रतिमा

42	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर में ग्राम टिगरी में पथरी नदी पर पुल व मार्ग का निर्माण।	2.150 + 32 मी०	0.67	
43	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादुराबाद में रा०मा० सं० 74 के किमी० 18 से नालोवाला तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.00	0.62	
44	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के जनपद रुड़की ब्लॉक में शातरशाह सहदेवपुर माग्र से बावली कलजरी मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	2.33	0.72	
45	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के जनपद भगवानपुर में सिकरोडा मार्ग से बेलकी मसरी होते हुए कृतुबपुर ग्रंट मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	4.90	1.52	
46	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड विण में ऐचोली जॉख मो०मा० से मासौ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	63.00	
47	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में सिलौनी-चिमतोली मोटर मार्ग से भैस दूगा-मझेडा क्वीगॉव, चौड़ा-जमतड़ी मोटर मार्ग का निर्माण।	6.00	75.60	
48	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड कनालीछीना में चमूदैंण्ड-चौबाटी मोटर मार्ग के किमी० 4 से धुरौली तक मो०मा० का निर्माण।	1.00	12.60	
49	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडिहाट में मसमोली चलमोड़ी मो०मा० का विस्तार।	1.00	12.60	
50	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी थल मुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी० 194 से रुइसपट्टा तक मोटर मार्ग व 1 सेतु का निर्माण कार्य।	3.00+30 मी० स्पान।	37.80	0.11
51	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में गौ से तेदांग-सीपू-मार्छा तक मो०मा० के नव निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	12.00+2.00	151.20	2.10
52	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बेरीनाग में कर्णप्रयाग अस्कांट मोटर मार्ग के किमी० 254 से गुरना तक मो०मा० का नव निर्माण कार्य।	7.00	88.20	0.10
53	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट में दशाईथल खिरगाण्डे मोटर मार्ग से हिंटारी-कनद तक मो०मा० का निर्माण।	3.00	37.80	0.10
54	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी में काढगोदान-खुटानी-लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहताड़ा में झाड सिरतोली तक मो०मा० का निर्माण।	3.00	37.80	0.10
55	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत में बसौटी से रौकुंवा मोटर मार्ग का विस्तार।	3.00	100.80	0.10

14/4/21

मि०

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 17.01.2015 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर (एजेन्सी का नाम) के द्वारा अदवाणी बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री अरविन्द कुमार मैठानी वन दरोगा एवं श्री गुलाब सिंह नेगी वन आरक्षी तमियार, राजस्व विभाग की ओर से श्री सबल सिंह राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री पूरण सिंह मेट, बचन सिंह बेलदार व श्री ए0के0 सकलानी कनिष्ठ अभियन्ता, अन्य दावेदारों की ओर से श्री.....तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती अनुजा रातव क्षेत्र पंचायत सदस्य ओडाडा एवं ग्राम प्रधान पसर के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1400.00 (मी0) नाप भूमि से, 2050.00 (मी0) सिविल भूमि से, 0.00 (मी0) वन पंचायत से, 1050.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.980 हे0 नाप भूमि 1.435 हे0 सिविल भूमि 0.735 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.17 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर 138 वृक्ष चीड़,बॉज,कुकाट,झींगन,जामुन,रोहणी एवं बांस प्रजाति के प्रभावित हो रहे हैं, जिनमे बॉज प्रजाति के 70 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1400 (मी0) नाप भूमि से, 2500 (मी0) सिविल भूमि से, 0.00 (मी0) वन पंचायत से, 1350.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.98 हे0 नाप भूमि 1.750 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.735 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.485 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 200 वृक्ष चीड़,बॉज,कुकाट,झींगन,जामुन,रोहणी एवं बांस प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमे बॉज प्रजाति के लगभग 80 वृक्ष प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन तमियार बीट कक्ष संख्या 5अ व 6ब से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0.3 है एवं इन कक्षों में चीड़,बॉज,कुकाट,झींगन,जामुन,रोहणी एवं बांस प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.30 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 78°23'55.02"E, 30°13'8.58"N है तथा यह स्थल लमोली ओडाडा मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल पसर गाँव है जिसका GPS मान 78°24'6.79"E, 30°12'13.72"N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 78°24'5.52"E, 30°13'3.54"N, 78°24'5.88"E, 30°12'46.92"N, 78°23'41.28"E, 30°12'41.64"N, हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

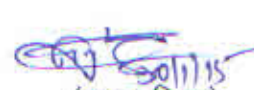
इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु नाप भूमि के खेत/स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 78°23'55.02"E, 30°13'4.44"N व 78°23'44.16"E, 30°12'47.58"N है।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राजि
नरेन्द्रनगर
मुनि की स्तो


(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि
राजस्व विभाग
नरेन्द्रनगर

(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रु० 88.20 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	वनक्षेत्र में प्रस्तावित संरक्षण के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने के कारण।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने लिए)	लागू नहीं।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	आरक्षित वनभूमि 0.735 हे०। सिविल सोयम भूमि 1.435 हे०। नाप भूमि 0.980 हे०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	परियोजना के कारण लोगों को हटाने की आवश्यकता नहीं है।
क) परिवारों की संख्या	-शून्य--
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	-शून्य--
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	-शून्य--
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	स्वीकार्य प्रमाण पत्र संलग्न। वचनबद्धता संलग्न।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	पृष्ठ संख्या- 3 पर संलग्न विषयक सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न।

दिनांक 27-01-2015 स्थान नरेन्द्रनगर।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

प्रारूप-3

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति - जनपद टिहरी गढ़वाल, विधानसभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर।
- (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र - उत्तराखण्ड।
- (ii) जिला - टिहरी गढ़वाल।
- (iii) जिला वन प्रभाग - शिवपुरी वन प्रभाग।
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - 2.17 हे०
2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: आरक्षित/सिविल सोयम भूमि
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
 - (i) वन का प्रकार आरक्षित
 - (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व- 0.30
 - (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना- संलग्न
 - (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
4. भूकरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 - (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
 - (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)
 - (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
 - (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अल्पवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)- नहीं।
 - (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे- नहीं।
7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)- नहीं।
8. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :
 - (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोजित अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। -अपरिहार्य एवं न्यूनतम।
 - (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।

9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) - नहीं।
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही - नहीं।
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) - लागू नहीं।

10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। - संलग्न है।
 - (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। - संलग्न है।
 - (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। - संलग्न है।
 - (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। - संलग्न है।
 - (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :
 - (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। - संलग्न है।
11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। - हाँ
12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।


राजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेठी।


उप प्रमातीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग।


उप प्रमातीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेठी।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

प्रारूप-4

भाग-3

13. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।
14. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
15. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

SITE INSPECTION NOT BELOW THE RANK OF DCF **(for the forest land to be diverted under FCA)**

5.1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer Construction Division P.W.D. Narendra Nagar (for diversion under FCA-1980) of 2.17 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Extension of Aadwani-Berani Motor Road Through Village Pokhri. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 2.17 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project.

5.4 Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

(a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

(b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)
वन-भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

 शिवकुमार सिंह जिला वन अधिकारी नरेंद्रनगर वन प्रभाग		(Signature) जिला वन अधिकारी नरेंद्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेही
Place		Name
Date		Designation.....
		Office Seal.

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

गूगल मानचित्र

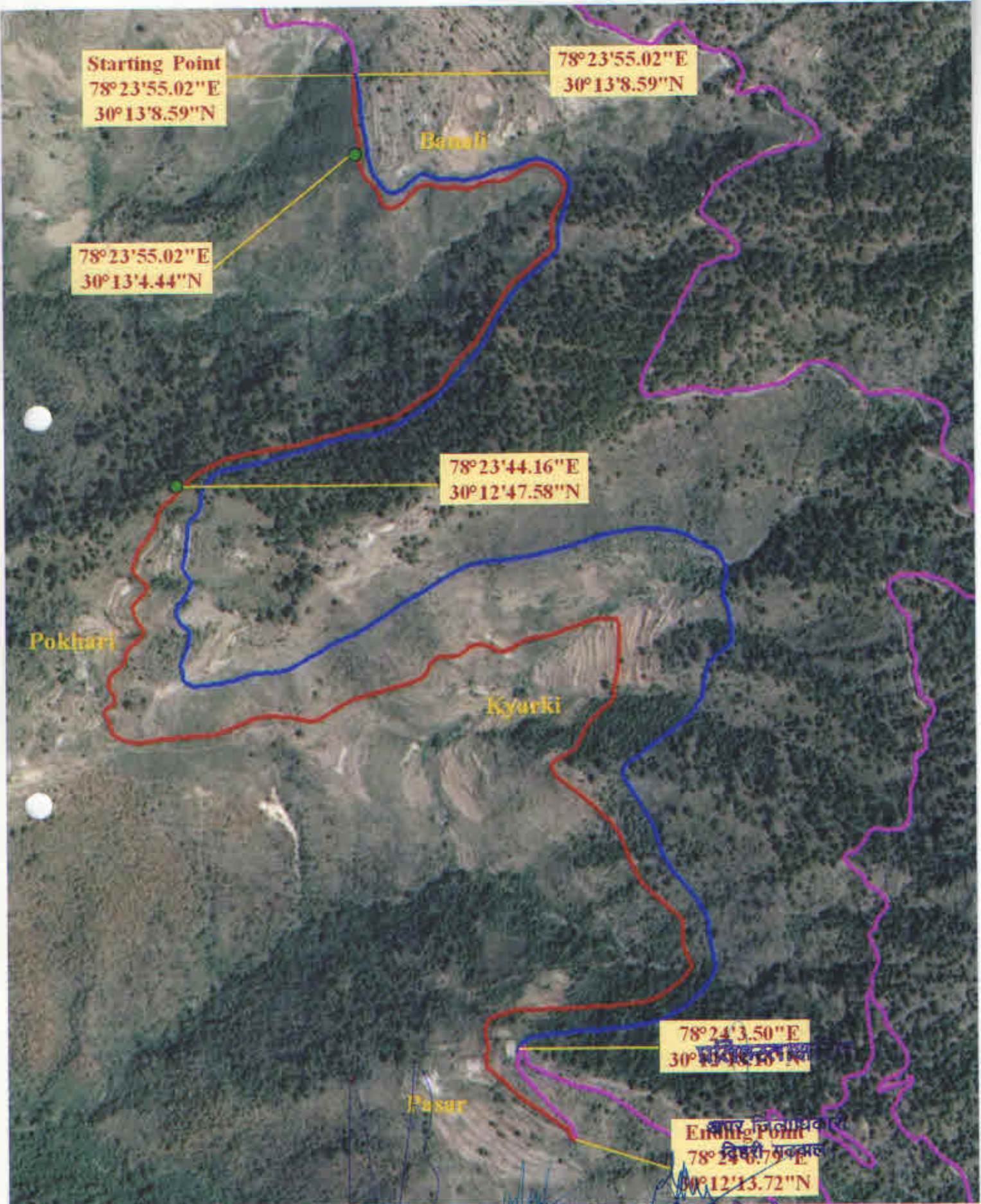
(kml file)

(जीपीएस सहित वैकल्पिक व प्रस्तावित संरक्षण)

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

डिजिटल मानचित्र – जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड नरेंद्रनगर में अदवाणी बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार

44



वन क्षेत्राधिकार उप प्रभागीय वन अधिकारी
 शिवपुरी वन सहविकास प्रयोग उप वन प्रभाग
 नरेंद्रनगर वन प्रभाग नरेंद्रनगर वन प्रभाग
 मुनि की रेती मुनिकीरेती NARENDRA NAGAR

44

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

Performa for comparison between identified alignments

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	Attached	Attached
2	Length of Road	4.50 Km	5.00 Km
3	Bridging requirement No. and Length	Nil	Nil
4	Geometric		
	(a) Gradients	1:24 Rise & 1:20 Fall	1:24 Rise & 1:20 Fall
	(b) Curves, H.P Bends	0 Nos	0 Nos
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Foot Path	Foot Path
6	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.	Passing Through E&B and some statches in VHR	Passing Through E&B and some statches in VHR
7	(a) Terrain & Soil Condition.		
	(vi) Cliffs and gorges.(vii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding .(viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends.(ix) Variations extants and types	Being mountaineous terrian drainage characterstic are goog and abnormal damages are not anticipated.	Being mountaineous terrian drainage characterstic are goog and abnormal damages are not anticipated.
8.	Climate Condition:(a) Temperature Monthly max. & min. reading.(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(d) Wind direction and velocities.(e) Fog Condition.(f) Exposure to sun.(g) Unusual weather condition like cloud brust etc.	(a) Max 32 & Min. 6 (b) Rainfall data are not available. (c) Road not covered by snow (d) data are not available. (e) Fog remains during rainy & winter season. (f) Full alignment is exposed to sun.	(a) Max 32 & Min. 6 (b) Rainfall data are not available. (c) Road not covered by snow (d) data are not available. (e) Fog remains during rainy & winter season. (f) Full alignment is exposed to sun.
9.	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	(a) Nil (b) Nil (c) Locally available (d) Locally available (e) Local timber like Chir wood,sand and stone are available	(a) Nil (b) Nil (c) Locally available (d) Locally available (e) Local timber like Chir wood,sand and stone are available

10.	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc,	Agricultural- 0.980 Hec Civil- 1.435 Hec R/Forest- 0.735Hec	Agricultural-0.980 Hec Civil-1.750 Hec R/Forest- 0.735 Hec
11.	Approximate Const. Cost.	Rs. 209.70 Lakh.	Rs. 233.00 Lakh.
12.	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Nil	Nil
13.	Period required for construction.	06 Months	06 Months
14.	Strategic Consideration.	Nil	Nil
15.	Important villages, towns and markets centers to be connected.	Pokhri & Odada	Pokhri & Odada
16.	Recreational potential.	Nil	Nil
17.	Economic Factors: (a) Population served by the alignment. (b) Agricultures and economic potential of the area.	(a) 526	(a) 526
18.	other major development projects being taken up electric projects etc.	Nil	Nil
19.	(i) Misc. Such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty	Nil	Nil
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) working period available for construction of work.	(IV) Locally available (V) 12Months	(IV) Locally available (V) 12Months
20.	Total No. of trees to be removed .	138	200
21.	Average Density of forest cover .	0.30	0.30
22.	Total No. of Merits		
23.	Total No. of Demerits	Nil	03 (Required More forest land, Construction Cost and Length)

RECOMMENDATIONS:

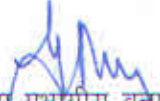
Alignment No. (1) Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वनप्रधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वनप्रधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

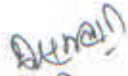
Note - Signature and approval of the concerned DFO is essential.

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 2.17 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेंद्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेंद्रनगर।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेंद्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वन अधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वन अधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।


सायब महशोब
चप महशोब
राज्य
टिहरी गढ़वाल


SDM
NARENDRA NAGAR

प्रतिहस्ताक्षरित


अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारूप-15

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	शिवपुरी रेंज	तमियार कक्ष स05	1050.00	7.00	0.7350
			योग-	1050.00		0.7350


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

लैन्ड शेड्यूल (सिविल सोयम/नाप भूमि)

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
सिविल एवं सोयम	टिहरी गढ़वाल	गजा	मौजा	15	0.623	275.00	7.00	0.1925
			बनाली	153	0.089	100.00	7.00	0.0700
			मल्ली	155	0.752	400.00	7.00	0.2800
			मौजा	736	0.312	300.00	7.00	0.2100
			पोखरी	710	0.404	200.00	7.00	0.1400
			मौजा पसर	315	0.690	150.00	7.00	0.1050
			मय क्यार्क	313	0.274	250.00	7.00	0.1750
				287	0.459	175.00	7.00	0.1225
				533	6.457	200.00	7.00	0.1400
वन पंचायत	टिहरी गढ़वाल	गजा	—	—	—	—	—	—
योग वन भूमि			—	—	—	2050.00	7.00	1.435
नाप भूमि	टिहरी गढ़वाल	गजा	बनाली, पोखरी, पसर			1400.00	7.00	0.980
कुल योग						1400.00		0.980

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

अधीनस्थ
SDM

NARENDRA NAGAR

प्रतिहस्ताक्षरित

अधीनस्थ अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	1050.00	7.00	0.735
2	सिविल सोयम भूमि	2050.00	7.00	1.435
3	वन पंचायत भूमि	—	—	—
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	—	—	—
	वन भूमि का योग	1050.00	7.00	2.170
5	नाप भूमि	1400.00	7.00	0.980
	कुल योग—	4500.00	7.00	3.150


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।


अधिसारक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।

BAR CHART

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

किमी०	1		2		3		4		5
भूमि	NL	RF		NL	CS	NL	CS	NL	NL CS
लम्बाई	1750	1050.00 M		500.00 M	275.00 M	250.00	250.00	150	125 200.00
रंग सूचक									

भूमि का प्रकार	सूचक	रंग	क्षेत्रफल(हे०)	लम्बाई (किमी)
आरक्षित वन भूमि	R.F	हरा	0.735	1.05
सिविल एवं सोयम वन भूमि	C.S.	पीला	1.435	2.05
नाप भूमि	N.L.	सफेद	0.98	1.40

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० नरेंद्रनगर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० नरेंद्रनगर

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० नरेंद्रनगर

रजि अधिकारी,
शिवपुरी रेंज, मुनिकीरेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग, नरेंद्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन (मानचित्र सहित)

प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना

53

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- नीर (क्षेत्रफल- $2 \times 2.17 = 4.34$ हे०)

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 2000 प्रति हे० की दर से -

8680 पौध

क्र०स०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5
प्रथम चरण				
1	सर्वे एवं सीमांकन	प्रति हे०	70.00	70.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्रति हे०	2336.00	2336.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) (150मी० प्रति हे०)	प्रति हे०	16254.00	16254.00
4	मृदा व जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु-चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान(10हे० के आधार पर मानते हुए)			
	1. वानस्पतिक/स्टोन चैक डेम $8 \times 4175.00 = 33400.00$ 2. वाटर हार्वेस्टिंग टैंक $(3 \times 2.50 \times 1.0) \times 5 \times 4680.00 = 23400$ Total- 56800.00	प्रति हे०	56800.00	56800.00
5	गड़ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	2000 प्रति हे०	4.92	9840.00
6	निरीक्षण बटिया (प्रथम)	2000 प्रति हे०	583.00	583.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	2000 प्रति हे०	4.18	8360.00
8	आय व्यय जैसे यंत्र, संग्रन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय	-	0.00	0.00
9	अन्य कार्य	-	0	0.00
	योग- प्रथम चरण			94243.00
द्वितीय चरण				
1	गड़ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	2000 प्रति हे०	0.88	1760.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	2000 प्रति हे०	1.39	2780.00
3	पौध डुलान कार्य	2000 प्रति हे०	3.94	7880.00
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	2000 प्रति हे०	1.75	3500.00
5	निराई गुड़ाई व मलिंग (दो बार)(1.18+1.01)	2000 प्रति हे०	2.33	4660.00
6	खाद व दवा पर व्यय 25 ग्राम प्रति गड़ढा, (2000x0.025=50Kg @120.00 Per Kg)	2000 प्रति हे०	0.58	1160.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय, कम से कम 9 माह	-		3081.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस, एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	प्रति हे०	253.00	253.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेराबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति हे०	253.00	253.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों की अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण	प्रति हे०	389.00	389.00
	प्रोत्साहन	प्रति हे०	194.00	194.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन व सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य को प्रचार-प्रसार एवं डेक्क्यूमेंटेशन आदि कार्य।	प्रति हे०	748.00	748.00
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण			26658.00
तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	-		7092.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति हे०	1092.00	1092.00
	योग- तृतीय चरण			8184.00
चतुर्थ चरण				

क्र०स०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	—	5115.00	5115.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति हे०	1090.00	1090.00
	योग चतुर्थ चरण	हे०		6205.00
पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	—	5115.00	5115.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति हे०	1090.00	1090.00
	योग पंचम चरण	हे०		6205.00
षष्ठम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	—	5115.00	5115.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति हे०	1090.00	1090.00
	योग षष्ठम चरण	हे०		6205.00
सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	—	5115.00	5115.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति हे०	1090.00	1090.00
	योग सप्तम चरण	हे०		6205.00
अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	—	5115.00	5115.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति हे०	1090.00	1090.00
	योग अष्टम चरण	हे०		6205.00
नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	—	5115.00	5115.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति हे०	1090.00	1090.00
	योग नवम चरण	हे०		6205.00
दसम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	—	5115.00	5115.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति हे०	1090.00	1090.00
	योग दसम चरण	हे०		6205.00
	कुल व्यय	हे०	योग:-	172520.00
	अतः 4.34 हेक्टेयर के लिए 4.34 x 172520.00	हे०		748736.80
		अर्थात्		748737.00

वन क्षेत्राधिकारी
सिवनी का रक्षि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप प्रमाणिक वन अधिकारी
देवप्रसाद उष वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

प्रमाणिक वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय होने वाली धनराशि को वहन करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वन अधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित नीर स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रमामीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग।


प्रमामीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर
वृक्षारोपण का प्राक्कलन

प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य।

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल:- ल0 4.50 किमी0,

क्षेत्रफल -

0.675 हे0

0.675

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (100 पौध प्रति किमी0) $100 \times 4.50 = 2436$ पौध

125 पौध

प्रथम चरण

क्र0स0	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रु0)	योग
1	2	3		4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	2000 हे0		70.00	47.25
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	2000 हे0		2336.00	1576.80
3	ट्री गार्ड करना	125	पौध	1350.00	168750.00
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	125	गड्ढा	4.92	615.00
5	निरीक्षण बटिया (प्रथम) प्रति हे0 100 र0मी0 लम्बी व 0.60 मी0 चौड़ी	0.68		583.00	393.53
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	125	पौध	4.18	522.50
7	आय व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	0.68		748.00	504.90
योग- प्रथम चरण					172409.98
द्वितीय चरण					
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	125	पौध	0.88	110.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	125	पौध	1.39	173.75
3	ट्री गार्ड डुलान करना	125	एक गुल्ल	45.00	5625.00
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	125	एक गुल्ल	40.00	5000.00
5	50 बैग पौध का डुलान वाहन से 25 किमी0	125	पौध	3.94	492.50
6	पौधा रोपण व धालाबन्दी	125	पौध	1.75	218.75
7	निराई गुड़ाई व मलिंग (दो बार)	125	पौध	2.33	291.25
8	खाद व दवा का व्यय	125	हे0	0.58	72.50
9	प्रथम वर्ष में देखरेख व रख रखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.68	हे0	3081.00	2079.68
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन	0.68	हे0	748.00	504.90
योग द्वितीय चरण					14568.33
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण					186978.30
तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	0.68	हे0	7092.00	4787.10
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.68	हे0	1092	737.10
योग- तृतीय चरण					5524.20
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	0.68	हे0	5115.00	3452.63
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.68	हे0	1090	735.75
योग चतुर्थ चरण					4188.38
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	0.68	हे0	5115.00	3452.63
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.68	हे0	1090	735.75
योग पंचम चरण					4188.38
षष्ठम चरण					

क्र०स०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग	
1	2	3	4	5	
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	0.68	हे०	5115.00	3452.63
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	0.68	हे०	1090	735.75
	योग सप्तम चरण				4188.38
सप्तम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	0.68	हे०	5115.00	3452.63
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	0.68	हे०	1090	735.75
	योग सप्तम चरण				4188.38
अष्टम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	0.68	हे०	5115.00	3452.63
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	0.68	हे०	1090	735.75
	योग अष्टम चरण				4188.38
नवम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	0.68	हे०	5115.00	3452.63
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	0.68	हे०	1090	735.75
	योग नवम चरण				4188.38
दसम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह श्रमिक सहित	0.68	हे०	5115.00	3452.63
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	0.68	हे०	1090	735.75
	योग दसम चरण				4188.38
कुल धनराशि					
			प्रथम चरण		172409.98
			द्वितीय चरण		14568.33
			तृतीय चरण		5524.20
			चतुर्थ चरण		4188.38
			पंचम चरण		4188.38
			षष्ठम चरण		4188.38
			सप्तम चरण		4188.38
			अष्टम चरण		4188.38
			नवम चरण		4188.38
			दशम चरण		4188.38
			कुल योग		221821.13
सिलिंग के अनुसार देय दर / 200000.00 रु० प्रति किमी०		4.50	KM	900000.00	

उप प्रमोदीय वनाधिकारी
दिनापुरी वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

उप प्रमोदीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

उप प्रमोदीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बैरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।



अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।



अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 17.01.2015/एवं 27.01.2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि	तमियार कक्ष सं05	चीड़	Plursrox bhavgaie	—			11	9	4	2				33
			बॉज	Fagaceae		1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
			कोकाट	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	5
2.	सिविल सोयम	सिविल पोखरी, क्यारा, पसर तमियार कक्ष संख्या 6	झींगन	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	18
			बॉज	Fagaceae	—	1	54	13	—	—	—	—	—	—	68
			कुकाट	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4
			जामुन	Myrtaceae	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
			रोहणी	Euphorbia ceae	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
			चीड़	Plursrox bhavgaie	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
			वांस	4 वेड़े	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3.	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	
4.	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	
योग :- वन भूमि			4	7	70	16	1	0	0	0	0	0	0	138	
5.	नाप भूमि		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
योग :- नाप भूमि			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल योग :-			4	7	70	16	1	0	0	0	0	0	0	138	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

कलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

20/1/15
राजस्व विभाग
टिहरी गढ़वाल

31/1/15
SDM
NARENDRA NAGAR

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सौयम भूमि / वन पट्टायत भूमि / सराक्षित वन भूमि / नाथ भूमि

बनाली से पसर तक मोटर मार्ग 4.50 किमी 7 मी चौड़ाई तमियार क0स0-5:-

क0स0	प्रजाती का नाम	व्यास	वृक्षों की सं०	दर	घनराशि
1	चीड़	20-30	7	400	2800
2		30-40	11	1400	15400
3		40-50	9	4200	37800
4		50-60	4	4900	19600
5		60-70	2	7500	15000
6	बांज	10-20	1	100	100
7		20-30	1	200	200
8	कुकाट	10-20	4	80	320
9		20-30	1	420	420
	Total		40		91640

सिविल पोखरी, क्यारा और पसर तमियार क0स0-6:-

क0स0	प्रजाती का नाम	व्यास	वृक्षों की सं०	दर	घनराशि
1	झींगन	10-20	4	120	480
2		20-30	14	600	8400
3	बांज	10-20	1	100	100
4		20-30	54	200	10800
5		30-40	13	450	5850
6	कुकाट	10-20	2	80	160
7		30-40	2	940	1880
8	जामुन	30-40	1	2640	2640
9	रोहणी	20-30	2	420	840
10	चीड़	40-50	1	4200	4200
11	बास 4 वेडे / 200		4	800	800
	Total		98		36150

वन विभाग
सिविली वन रक्षक
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
भुनि की रेखा

प्रभागीय वन विभागीय
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
भुनि की रेखा

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास										योग
		10-20	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	0	5	9	11	9	4	2	0	0	0	40
2	सिविल सोयम/नाप	4	7	70	16	1	0	0	0	0	0	98
3	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00
4	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00
	वन भूमि का योग	4	12	79	27	10	0	0	0	0	0	138
5	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	कुल योग	4	12	79	27	10	0	0	0	0	0	138


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	40	40	मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में आने वाले वृक्ष ही परियोजना से प्रभावित होंगे तथा उन्हीं का पातन किया जाना अपरिहार्य है।
2.	सिविल सोयम/नाप	98	98	
3.	वन पंचायत	-	-	
4.	संरक्षित वन	-	-	
	योग :- वन भूमि			
5.	नाप भूमि	-	-	
	कुल योग :-	138	138	

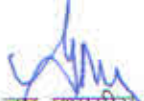
प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 138 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 138 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग-उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास								योग
					10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि	तमियार कक्ष सं० 5	बाँज	Fagaceae	1	1							2
2.	सिविल सोयम	पसर कक्ष सं० 6	बाँज	Fagaceae	1	54	13						68
3.	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :- वन भूमि	—	—	—	2	55	13	—	—	—	—	—	70
5.	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग :-	—	—	—	2	55	13	—	—	—	—	—	70

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड


अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागिय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


उप प्रभागिय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

लागू नहीं


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

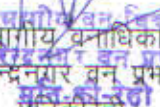

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वन अधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

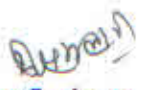

प्रभागीय वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

MUCK DISPOSAL PLAN

(Signed by EE & DFO)

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

Sl no	Particulars of Item	Nos	Nos	Length	Breadth	Height	Quantity	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Material Received from Hill Side Cutting							
	(New cutting 6m wide)	1	1	4500.00	(6.0X4.50)/2	-	60750.00	
				4500.00		Total	60750.00	Cum
2	Consumption of muck at site							
	For construction of R/Wall 20% of total length	1	1	900.00	(0.50+1.50)/2	4.00	3600.00	
	For construction of B/Wall 20% of total length	1	1	900.00	(0.60+0.90)/2	1.80	1215.00	
	For H.P. Filling 20%	1	0.5	900.00	1.25	4.00	2250.00	
	For Soling 100%	1	1	4500.00	4.05	0.12	2187.00	
	For Super elevation on curve 10%	1	0.5	450.00	(6.85+6.55)/2	0.60	904.50	
	For edge filling 80%	1	1	3600.00	(2.50+1.0)/2	3.00	18900.00	
	For patri filling 100%	1	2	4500.00	0.50	0.50	2250.00	
	For Regrading work 10%	1	1	450.00	(5.95+6.85)/2	1.00	2880.00	
						Total	34186.50	Cum
3	Nett Quantity of Muck for disposal						26563.50	Cum


Junior Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


Assistant Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


Executive Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राजि
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

कार्य का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

मलवा निस्तारण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार निर्माण कार्य से उत्सर्जित मलवे का प्रयोग नियमानुसार मार्ग निर्माण में ही भारवाहक दीवारें, सोलिंग, पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण, इत्यादि के कार्यों में मार्ग की चौड़ाई मानक के अनुसार बनाने के लिये किया जायेगा तथा कुछ मलवे का उपयोग पेड़ रहित भाग को समतल करने में किया जायेगा, इससे स्थानीय वनस्पति को कोई क्षति नहीं होगा तथा नही भू-क्षरण की कोई समस्या उत्पन्न होगी। अवशेष मलवे को आगणन में प्राविधानित स्थानों पर ढुलान कर निस्तारित किया जायेगा।

Devi

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नरेंद्रनगर।

Shag

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नरेंद्रनगर।

Shag

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नरेंद्रनगर।

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन रक्षि
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप प्रमाणित वन अधिकारी
देवप्रयाग वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

प्रमाणित वन अधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

Capacity of Dumping Yard

Location of Dumping Yard	Size of Dumping Yard (LXBXD)	Type of Land	Capacity of Dumping Yard (Cum)
Km01	100.00X9.00X7.00	Naap Land	6300.00
Km02	150.00X10.00X9.00	Naap Land	13500.00
Km03	100.00X8.50X8.00	Naap Land	6800.00
Total			26600.00


Junior Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


Assistant Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


Executive Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राजि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती


उप प्रभागीय वन अधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती


प्रभागीय वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

कार्य का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

Details Of Muck Disposal Yard

Sl. No.	Km.	Land Owner	Land area being used for dumping Yard (Sqm)	Longitude	Latitude
1	Km01	Naap Land	900.00	78°23'55.02" E	30°13'4.44" N
2	Km02	Naap Land	1500.00	78°23'44.16" E	30°12'47.58" N
3	Km03	Naap Land	850.00	78°23'37.32" E	30°12'35.58" N
Total			3250.00		


Junior Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


Assistant Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


Executive Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar


वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुक्ति की रेती

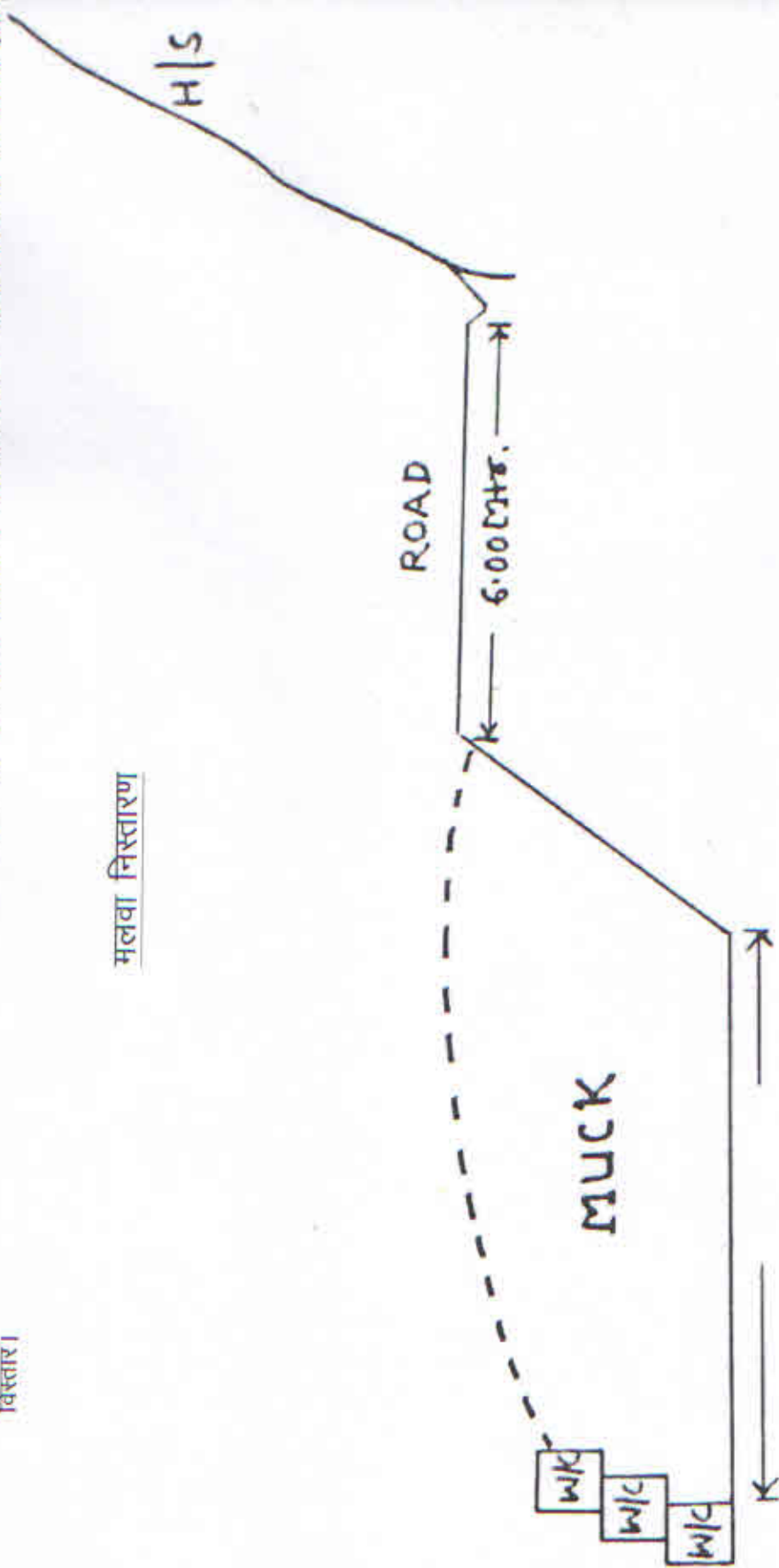

उप प्रभागीय वन अधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती


हथानगी वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुक्ति की-रेती

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

मलवा निस्तारण



Typical Section of Muck Disposal Yard.

73

महेश्वरी
नरेंद्रनगर
विधान सभा क्षेत्र, नरेंद्रनगर

Executive Engineer
Construction Division, P.W.D.
Narendranagar

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

मलवा निस्तारण/डम्पिंग हेतु चयनित नाप भूमि का फोटोग्राफ



B. N. Singh

Junior Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

M. Singh

Assistant Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

[Signature]

Executive Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

मलवा निस्तारण/डम्पिंग हेतु चयनित नाप भूमि का फोटोग्राफ



[Signature]
Junior Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

[Signature]
Assistant Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

[Signature]
Executive Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

अनापत्ति प्रमाण-प्रत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार कार्य के अन्तर्गत जो भूमि मक डिस्पोजल/डम्पिंग/मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी भूमि राजकीय दरों पर विभाग को देने को सहमत हूँ।

हस्ताक्षर भू-स्वामी
नाम- सत्योसिंह पुंछरा गैंगारिंह पुंछरा गैंगारिंह
ग्राम- पोटवरी
तहसील- राजा
जिला- (गुजरात)

किमी० पर मक डिस्पोजल/डम्पिंग हेतु प्रस्तावित श्री सत्ये सिंह पुत्र धर
श्री गजेंद्र सिंह ग्राम फोहरा तहसील गजा, जनपद- टिहरी गढ़वाल की नाप भूमि
का विवरण निम्न प्रकार है।

[illegible]

हस्ताक्षर अमीन

Junior Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

Assistant Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

राज्य स्तरीय शिक्षक राज्या
हस्ताक्षर वृत्तवारी
राज्यस्तरीय विभाग
दिहरी गढ़वाल

Executive Engineer
Const. Div. P.W.D.
Narendra Nagar

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी ...12.00 किमी० है।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वनधिकारी
देवप्रभाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वनधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

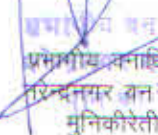

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेंद्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सेवामे

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

विषय— मा० मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार मोटर मार्ग बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम समस्त ग्रामवासी इस बात से सहमत हैं कि अदवाणी बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुये विस्तार कर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जो सर्वे कार्य किया गया है, उस पर मार्ग बनाने के लिये हमारी ग्राम सभा पूर्ण रूप से सहमत है तथा मार्ग को बनाने के लिये अनुरोध करती है। यदि मार्ग निर्माण हेतु हमारी निजी कृषि भूमि की आवश्यकता विभाग को पड़ती है तो हम अपनी भूमि राजकीय दरों पर विभाग को देने के लिये तैयार हैं।

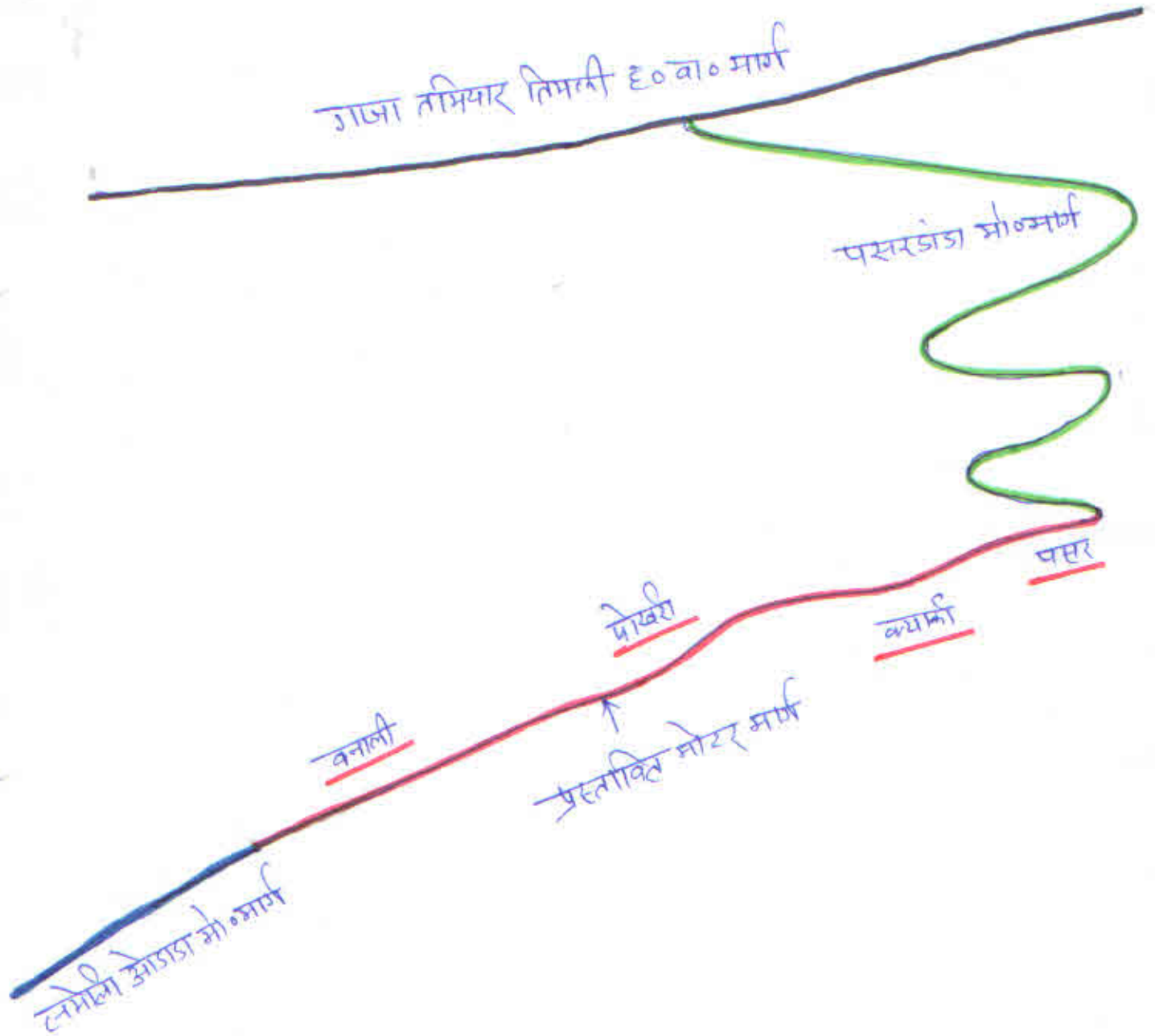
अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग का निर्माण जन हित में यथा शीघ्र किया जाय।

ह/- ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-देरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

परियोजना का ले-आउट प्लान

Deerani
28

मलग
जनपद टिहरी गढ़वाल
विभाग नरेंद्रनगर
कनिष्ठ प्रमुख

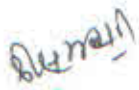

Executive Engineer
Construction Division
Narendranagar

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


रजि अधिकारी
शिवपुरी रेंज,
मुनिकीरेती।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर -।
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

भू - गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0 -197 /सडक/पुल समरेखण/गढ़वाल/2011

अदवाणी- बेरनी मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल के पोखरी तक विस्तार के समरेखण स्थल की भू-गर्भीय निरीक्षण आख्या।

06-मई-2011

Testing of Material (USTM) के prescribed Manual Index द्वारा अध्ययन किया गया जिसका विवरण निम्न है:-

1. रॉक टाइप (Rock Type)	चौधपुर फिलाइट्स, नागथात क्वार्टजाइट्स
2. वेदरिंग ग्रेड (Weathering Grade)	फ्रेश - (W_0-W_1) 20% स्टाइटली वेदर्ड - (W_1-W_2) 18% पार्सियली वेदर्ड - (W_2-W_3) 80%
3. रॉक डिस्कॉन्ट (संधियां) (Joints)	तालिका में वर्णित
4. यूनिअक्सियल कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ (Uniaxial Compressive Strength)	फिलाइट्स- 30 M Pa -200 M Pa तक क्वार्टजाइट्स-50 M Pa -250 M Pa तक
5. रॉक क्वालिटी डिस्सिग्नेश (RQD)	फिलाइट्स- 25% -48% क्वार्टजाइट्स-40% -70%
6. रॉक मास रेटिंग (RMR)	फिलाइट्स- 41-60 फेयर (fair) क्वार्टजाइट्स-61-80 गुड रॉक (Good Rock)

तालिका

S.No	Feature	Dip angle	Azimuth
1	2	3	4
J ₁	(So bedding joint)	68	N210
J ₂	joint	50	N055
J ₃	joint	72	N135
J ₄	joint	58	N330
J ₅	joint	85	N355

सम्पूर्ण समरेखण स्थल के ढाल वर्तमान में स्थिर प्रतीत होते हैं तथा इनपर कहीं भी भू-स्खलन/ भू-घंसाव दृष्टिगोचर नहीं है।

समरेखण क्षेत्र की भू-गर्भीय स्थिति, भू-तकनीकी आंकलन, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

4. सुझाव:-

1. मार्ग का निर्माण यथासम्भव वालिंग, हाफ कट हाफ फिल द्वारा किया जाए।
2. समरेखण स्थल में पड़ने वाले शैलों एवं बोल्डर्स पर नियंत्रित विस्फोट किये जायें एवं गाव के समीप विस्फोटकों का प्रयोग न किए जायें।
3. मार्ग के दोनों तरफ समुचित परिकल्प के आधार पर रिटेनिंग / बेस्ट वाल्स का निर्माण किया जाए।

4. ढालों का उत्खनन के ऊपरी तल से मार्ग की वेन्च के तल (निचले तल) की तरफ किया जाये।
 5. मार्ग एवं ढालों की स्थिरता के लिए उचित drainage की व्यवस्था की जाये।
 6. पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।
5. निष्कर्ष:- समरेखण स्थल पर किए गए भू-गर्भीय अध्ययन के आधार पर उपरोक्त सुझाव का अनुपालन करते हुए यह समरेखण स्थल मार्ग बनाने हेतु उपयुक्त पाया गया है।

(विजय डंगवाल)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेंद्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेंद्रनगर।


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेंद्रनगर।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित बनाविधायी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित बनाविधायी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आघातित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/सौदीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगुने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है। इसी प्रकार बाज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

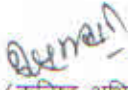
प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

टास्क फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु टास्क फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।

प्रारूप-37

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।



अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।

प्रतिहस्ताक्षरित


 सहायक अभियन्ता
(क) 30/1/15
 टिहरी गढ़वाल


 3/1/15
 SDM
 NARENDRA NAGAR


 अधिशाली अधिकारी
 टिहरी गढ़वाल।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

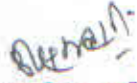

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।



अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

प्रारूप-40

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	ग्राम	कोड	आवादी
1	पोखरी	00435000	67
2	ओडाडा	00434900	459
योग :-			526


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी: - V
2. हरियाली का घनत्व - 0.3
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे० 8,45,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 2.17 Hec.
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि Rs. 18,33,650.00


वन अधिकारी
तिहरी गढ़वाल जिला
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती


सुप प्रभागीय वन अधिकारी
सैबप्रभाग सुप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती


प्रभागीय वन अधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती।

प्रारूप-51

परियोजना का नाम:-

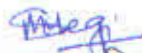
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बैरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।



अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।



अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

::प्रमाण-पत्र::

अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के पत्रांक 306/06 एम0जी0 दिनांक 02.02.2015 के द्वारा जनपद में मा0 मुख्यमंत्री ग्राम संयोजन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अदवाणी-बेरनी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.735हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 1.435हे0 सिविल भूमि, कुल रक्बा 2.17हे0 वन एवं सिविल भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-

आरक्षित वन भूमि का विवरण:-

प्रभाग का नाम	कम्पार्टमेन्ट सं0	क्षेत्रफल		कुल क्षेत्रफल (हे0में)	टिप्पणी
		लम्बाई	चौड़ाई		
01	02	03	04	05	06
नरेन्द्रनगर	शिवपुरी रेंज तमियार कक्ष सं0 5	1050.00	7.00	0.735	
योग				0.735	

सिविल सोयम भूमि का विवरण:-

तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	कुल रक्बा	याचित रक्बा
01	02	03	04	05
गजा	बनाली मल्ली	15	0.623	0.1925
		153	0.089	0.0700
		155	0.752	0.2800
	पोखरी	736	0.312	0.2100
		710	3.404	0.1400
	पसर मय उद्यार्क	315	0.690	0.1650
		313	0.274	0.1750
		287	0.459	0.1225
		533	6.457	0.1400
	योग			
महायोग				2.17

इस कार्यालय के आदेश संख्या-81/5-27 दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत तहसील गजा के अन्तर्गत ग्राम बनाली मल्ली, पोखरी, पसर मय उद्यार्क की अकृषि भूमि का मूल्य रु 8,50,000.00 (आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र) प्रति हे0 निर्धारित है। इस प्रकार गजा की प्रस्तावित 0.735हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 1.435हे0 सिविल भूमि, कुल रक्बा 2.17हे0 वन एवं सिविल भूमि का मूल्य 18,44,500.00 (अठारह लाख चालीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) आंकलित किया जाता है।

प्रस्ताव पर उपलब्ध संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार हस्तान्तरण हेतु भूमि याचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं न्यूनतम है।

क्रमांक-816/XXVI-33(201415)

दिनांक- 05/2/15

जिलाधिकारी
जिला न्यायिक

परियोजना का नाम:-

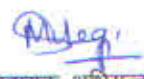
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-बैरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)	PWD SOR Item No.
			ल०	चौ०	ऊ०					
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	1	1.00	0.50	0.70	0.35	घन मी०	222.60	77.91	75476 16-1
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	—	—	—	1Job	L.S.	500.00	500.00	L.S.
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	1	1.00	0.50	0.10	0.05	घन मी०	5684.00	909.44	75285 11-4-3-1
			0.30	0.30	1.30	0.11				
			योग—			0.16				
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना	01	0.16×78-50×1%			0.12	कुन्तल	6270.31	752.44	75301 11-7
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	4	0.30	—	1.20	1.44	वर्ग मी०	124.40	190.33	75168 8-5-5
		1	0.30	0.30	—	0.09				
			योग—			1.53				
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	1	—	—	—	—	L.S.	500.00	500.00	L.S.
8	पानी की डुलाई आदि/आकस्मिक	1	—	—	—	—	L.S.	500.00	500.00	L.S.
कुल योग								योग—	3430.12	
								अथवा	3430.00	


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

प्रारूप 52.1

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अदवाणी-वेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार।

सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को वहन करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।



अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नरेन्द्रनगर।